International Journal of Applied and Universal Research **E-ISSN No: 2395-0269**
Volume III, Issue IV, Jul.-Aug. 2016 Available online at: www.ijaur.com

भारतीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता

डॉ. किशन यादव
एसो. प्रोफेसर राजनीति विज्ञान
बुन्देलखण्ड कालेज, झांसी (उ.प्र.)

सारांश :. सृष्टि की मेरूदण्ड नारी को विश्व के किसी राष्ट्र की संस्कृति का मुख्य मापदण्ड माना गया है। ज्ञातव्य है कि विभिन्न संस्कृतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाली नारी की स्थिति सदैव परिवर्तित रही है यही अस्थिरता उसकी प्रत्येक युग के समाज व्यवस्थाकारों के लिए प्रश्न चिन्ह के रूप में चिन्तन का प्रधान विषय रही है। भारतीय साहित्य के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि राजकुल की स्त्रियाँ ज्ञान, विज्ञान और ललित कला में प्रवीण होने के साथ ही राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त करती थी वह गृहणी के साथ पति की सचिव भी थी, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के बीसवें अध्याय में वर्णित है कि स्त्रियां मौर्य दरबार का मुख्य अंग थी और राजदरबार में राजाओं के चारों ओर स्त्रियां रहती थीं। मनु ने राजशासन के अन्तर्गत नारी पुरूष में कोई भेद नहीं माना प्राचीन काल से नारियाँ राजनीति में अपने पतियों को सक्रिय सहायोग देती आ रही हैं। कश्मीर के शासन क्षेत्रगुप्त की पत्नी दिद्दा ने अपने पति की मृत्यु के बाद सारा शासन भार स्वयं बड़ी कुशलता से चलाया था तथा वहाँ की प्रजा ने सुगंधा को शासन नियुक्त किया था। जैसा कि उपयुक्त कथनों से स्पष्ट है कि राजनीति का क्षेत्र स्त्रियों से अछूता नहीं था, परन्तु राजतंत्रीय व्यवस्था में सामान्य वर्ग की स्त्रियों को प्रवेश पाने का कोई अवसर नहीं था। केवल राज–परिवारों की स्त्रियॉ ही भाग लेती थी। अतः हमें उनकी सक्रिय सहभागिता को बढ़ाना है आज आरक्षण के साथ ही उन वैचारिक क्रांति की भी आवश्यकता है, जो समाज में भारतीय नारी को उचित दर्जा दिला सके।

मुख्य शब्द – भारतीय लोकतंत्र, भारतीय नारी और वर्तमान समस्याये।

प्रस्तावना –

सृष्टि की मेरूदण्ड नारी को विश्व के किसी राष्ट्र की संस्कृति का मुख्य मापदण्ड माना गया है। ज्ञातव्य है कि विभिन्न संस्कृतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाली नारी की स्थिति सदैव परिवर्तित रही है यही अस्थिरता उसकी प्रत्येक युग के समाज व्यवस्थाकारों के लिए प्रश्न चिन्ह के रूप में चिन्तन का प्रधान विषय रही है। भारतीय साहित्य के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि राजकुल की स्त्रियाँ ज्ञान, विज्ञान और ललित कला में प्रवीण होने के साथ ही राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त करती थी वह गृहणी के साथ पति की सचिव भी थी, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के बीसवें अध्याय में वर्णित है कि स्त्रियां मौर्य दरबार का मुख्य अंग थी और राजदरबार में राजाओं के चारों ओर स्त्रियां रहती थीं। मनु ने राजशासन के अन्तर्गत नारी पुरूष में कोई भेद नहीं माना प्राचीन काल से नारियाँ राजनीति में अपने पतियों को सक्रिय सहायोग देती आ रही हैं। कश्मीर के शासन क्षेत्रगुप्त की पत्नी दिद्दा ने अपने पति की मृत्यु के बाद सारा शासन भार स्वयं बड़ी कुशलता से चलाया था तथा वहाँ की प्रजा ने सुगंधा को शासन नियुक्त किया था। जैसा कि उपयुक्त कथनों से स्पष्ट है कि राजनीति का क्षेत्र स्त्रियों से अछूता नहीं था, परन्तु राजतंत्रीय व्यवस्था में सामान्य वर्ग की स्त्रियों को प्रवेश पाने का कोई अवसर नहीं था। केवल राज–परिवारों की स्त्रियॉ ही भाग लेती थी।

स्वतंत्रता से पूर्व महिलाओं को किसी भी प्रकार का राजनैतिक अधिकार नहीं था। सन् 1926 से पहले महिलायें किसी भी सभा की सदस्या नहीं हो सकती थीं। सन् 1926 में केवल प्राप्त नहीं था। सन् 1935 में जब भारत का नया संविधान बना तो नारियों ने भी पुरूष के समान अधिकार की माँग शुरू कर दी, परन्तु उनकी माँग उस समय अनुसुनी कर दी गयी उनका मताधिकार, उनकी सम्पत्ति पति की स्थिति एवं शिक्षा पर निर्भर थी। 1937 के चुनाव में स्त्रियों ने सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़ा, उस समय पूरे भारत में 41 सीटें ही उनके लिए सुरक्षित थीं। श्रीमती आर.बी. सुव्वारामन राज्य परिषद् की तथा श्रीमती रेणुका राय केन्द्रीय व्यवस्थापिका की सर्वप्रथम सदस्या बनी।

यदि हम व्यवस्थापिकाओं में महिलाओं की संख्या एवं क्रिया कलापों पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि अधिकांश प्रभावशाली परिवारों की महिलायें ही सदस्य चुनकर आती है वह चाहे किसी पूर्व राजघराने की पुत्री अथवा पुत्रवधू हो अथवा किसी प्रभावी राजनीतिज्ञ की पत्नी अथवा अन्य कोई निकट सम्बन्धी। या कुछ महिलायें किसी बड़े राजनीतिज्ञ की कृपापात्र बनकर सांसद चुनी गयी अब तक समाज की आम महिला बहुत कम ही जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो पायी हैं। राजनीतिक दलों ने भी इस बात पर बल दिया है कि महिला प्रत्याशी एक तो संख्या में कम हो तथा वह एक बड़े इलाके में अपने किसी रचनात्मक काम या उपलब्धि के कारण ख्याति प्राप्त कर चुकी हों साथ ही अमीर और उच्च घराने से सम्बन्ध रखती हो। यही कारण है कि अब तक हुए 15 लोकसभा चुनाव में अधिकतम 49 प्रतिशत महिलायें ही चुनकर

आ सकी हैं। 1952 से लेकर अब तक कुछ ही महिलायें अपने प्रखर विद्वतापूर्ण बुद्धिमत्ता से राजनीतिक, सामाजिक विषयों पर सदर का ध्यान आकृष्ट करने में सफल हो सकी हैं। जैसे रेनु चक्रवर्ती, गीता मुखर्जी, उमा भारतीय, सुषमा स्वराज आदि। अधिकांश महिलाओं ने सदन जाकर एक मूकदर्शक एवं अच्छे श्रोता की भूमिका ही निभाई है।

आज चिन्ता का विषय यह है कि हम 21 वीं सदी के द्वार पर खड़े होने के बावजूद हम देश की आधी आबादी को उसका उचित हक प्रदान नहीं कर पा रहे हैं यह कम त्रासदी पूर्ण बात नहीं है कि मेक्सिको से लेकर बीजिंग तक सम्मेलन हुए तथा महिलाओं को पुरूष के बराकर हक दिलाने का प्रस्ताव भी पारित किए गये लेकिन फिर भी विश्व के अधिकांश देशों की महिलायें आज भी अपने उचित अधिकारों से वंचित हैं। अतः महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए व्यवस्थापिकाओं में महिलाओं की अधिकाधिक उपस्थिति वांछनीय है।

इस दृष्टि से भारत में महिलाओं के लिए लोकसभा तथा विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाले 84 वें संशोधन को महत्वपूर्ण प्रयास माना जा सकता है। महिला आरक्षण के प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार हैं –

1. अनुच्छेद 330 खण्ड–1 लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।
2. अनुच्छे 330 खण्ड–2 के आधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे।
3. किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के निकटतम एक तिहाई स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम द्वारा आवंटित किय जा सकेंगे।
4. अनुच्छेद 331 के अनुसार आंग्ल भारतीय समुदाय की महिला के नाम निर्देशन के लिए आरक्षित रहेंगें, पर तीसरे निर्वाचन के बाद उस समुदाय की महिला का पद आरक्षित नहीं होगा।
5. अनुच्छेद 332 (क) प्रत्येक राज्य की विधान सभाओं में स्त्रियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगें।
6. 334 क लोकसभाओं व विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण अधिनियम लागू होने के दिन से 15 साल के लिए किया जाना चाहिए, इसके बाद फिर समीक्षा हो।
7. दिल्ली और पाण्डिचेरी को बिल से बाहर रखा गया है, उन्हें इसकी परिधि में लाया जाये।

यद्यपि राजनीति में महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में काफी कम है तथापि राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान कर महिलाओं को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। पंचायत स्तर से ही उन्हें मौका देकर यह शुरूआत की गयी है। जब हमारी गांव की महिलायें साक्षर हो जायेगी वह अपने मानवाधिकारों की रक्षा करने में स्वयं समर्थ हो जायेगी, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उम्मीदवारों की 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो जायेगी तब वही से हमारा राजनैतिक स्तर आगे बढ़ेगा। चीन में 30 करोड़ महिलाओं को ऐसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वीडन सरकार भी महिला प्रत्याशियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें चुनाव में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पंचायत स्तर पर महिलाओं को राजनीति में मौका देकर, उनका राजनीतिक दृष्टिकोण परिपक्व बनाया जा सकता है। स्वतंत्रता के पूर्व एवं स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनैतिक इतिहास का अवलोकन करके हम इस ज्वलंत समस्या का निवारण कर सकते हैं। हम प्रथम स्नातक महिला श्रीमती चन्द्रमुखी बोस, क्रांतिकारी भीकाजी काया, कांग्रेस अध्यक्ष एनीबेंट, राज्यपाल सरोजनी नायडू, श्रीमती गांधी मताधिकार की सूत्रधार मार्गरेट कर्जिस, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, किरण वेदी, शकुंतला वशिष्ठ, सविता रानी आदि ख्याती प्राप्त महिलाओं से प्रेरणा ले सकते हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति में अग्रिम एवं अद्वितीय भूमिका निभाई। श्रीमती गांधी को ''अमेरिका युनाइटेड प्रेस इन्टरनेशनल'' के सर्व निष्कर्ष में भारत की प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिकार महत्वपूर्ण महिला घोषित किया गया। भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने दलित महिलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। श्री उमा भारती, सुषम स्वराज, ममता बनर्जी, श्रीमती रावड़ी देवी, श्रीमती सोनिया गांधी, वर्तमान राजनीति में सक्रिया भूमिका अदा कर रही हैं।

अतः प्राचीनकाल से आज तक महिलाओं की भारतीय राजनीति में भूमिका अद्वितीय है लेकिन वर्तमान प्रावधानों के द्वारा उन्हें हम लोकसभा एवं विधान सभाओं में उचित स्थान दिलाकर उनमें जागरूकता का संचार कर सकते हैं, पर हमारे कुछ बुद्धिजीवी वर्गों का यह विचार है क हम पाश्चात्य देशों की बराबरी कर रहे हैं। यह आरक्षण हमारी संस्कृत में नहीं है, हम आरक्षण के द्वारा समाज में अव्यवस्था एवं वैमनस्य की भावना पैदा कर रहे हमारा समाज नारी को आदर करता है, आरक्षण के द्वारा हम नारी और पुरूष दो भागों में बांट रहे हैं, गर ऐसा करते हैं तो हमारी संस्कृति छिन्न भिन्न हो जायेगी, जो हमारी राष्ट्रीय एकता के विपरीत होगी। यह विचार कुछ हद तक ठीक है कि हमको अपनी संस्कृति को नष्ट नहीं करना है।

अतः हमें उनकी सक्रिय सहभागिता को बढ़ाना है आज आरक्षण के साथ ही उन वैचारिक क्रांति की भी आवश्यकता है, जो समाज में भारतीय नारी को उचित दर्जा दिला सके।

संदर्भ-

1. प्राचीन भारत में नारी– डॉ. उर्मिला प्रकाश मिश्र
2. भारत की अग्रणी महिलायें–डॉ. आशारानी ब्होरा
3. अद्भुद भारत– मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी
4. नारी प्रश्न– सरला महेश्वरी
5. कार्यशील महिलायें एवं भारत– डॉ. सुभाष चन्द्र गुप्ता
6. महिला एवं विकास– डॉ. राजकुमार
7. भारतीय नारी और वर्तमान समस्यायें– डॉ. आर.पी. तिवारी, डॉ. डी.पी. शुक्ला एवं भावी समाधान